



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-1943/2014 धारा-354ए भा0द0सं0 व धारा-08 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बाबू पुत्र प्रेमचन्द्र कुशवाहा नि0 ग्राम परा थाना राठ जनपद हमीरपुर को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक  
एडीजीसी श्री अवधनरेश  
सिंह चन्देल



विवेचक-  
उ0नि0  
संजय वर्मा



पैरोकार- थाना राठ  
का0 प्रदीप भार्गव